नोट वर्तमान आदेश 6/116 व 543/140 [illegible] PV

2014/00066

नोट आदेश 116 ता/40 [illegible]

नोट ई तं 11 से [illegible]
79876

नोट आदेश 115/117 [illegible]

(राज.)

क्रम मुकदमा	मुकदमा			पेशी दिनांक
1	2			
88 वाद-पत्र	52/14	10/10/14		25/7/24 28/8/24 19/9/24 T.D.R. लिए पटवारी/ILR. के [illegible] 09-10-24 23-10-24 14/11/24 11.12.24 15-1-2025 ~~22/1/25~~ 29/1/25 5/2/25 13/2/25 ~~24~~ 27/2/25 19/3/25

4/3/25

निर्णय/डिक्री में

अन्यान

श्री लक्ष्मण s/o दूधा बैला रेगर   श्री सरकार

निवासी भूति   निवासी

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलार्थी   अधिवक्ता प्रतिवादी / अप्रार्थी

डिक्रीदार

श्री G.L.A.

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियाँ, जिला–भीलवाड़ा
लक्ष्मण बनाम सरकार
किस्म मुकदमा धारा 88 RTA प्रकरण संख्या 52/14
GCMS नम्बर:– 2014/00066

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/3/25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 04/03/25 को पेश हो उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
4/3/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली को अस्वीकार (खारिज) किया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

भीतर प्रस्तुत
विधि
पालना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)

बईजलास – श्रीमान अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

दायर तारीख 10/10/2014

राजस्व प्रकरण संख्या 52/2014

अनवान

1. लक्ष्मण पिता कूका जाति बोला (रेगर) उम्र बालिग पेशा खेती, निवासी भूति, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)**(मृतक)**
1/1 शम्भुलाल पुत्र लक्ष्मण जाति बोला (रेगर) उम्र बालिग, निवासी भूति, तहसील बिजौलियां।
1/2 बंशीलालपुत्र लक्ष्मण जाति बोला (रेगर) उम्र बालिग, निवासी भूति, तहसील बिजौलियां।
2. दूदा पुत्र कूका जाति बोला (रेगर) उम्र बालिग पेशा खेती, निवासी भूति, तहसील बिजौलियां।
..........वादीगण

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय भीलवाडा (राज0)।
02. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)।
..........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 01 श्री गिरधारीलाल आचार्य– अधिवक्ता वादीगण
02 पैरोकार सरकार

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0टि0एक्ट

–: निर्णय :–

दिनांक :03 /04/2025

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान **काश्तकारी अधिनियम** विरुद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण के पिता कूका पुत्र कालु जी बोला (रेगर) निवासी भूति को संवत् 2022 से 2025 की मौजा भूति की जमाबन्दी अनुसार दो अलग अलग खसरा नम्बरान में भूमि का आवंटन किया जाकर जरिये इन्तकाल संख्या 11 गैर खातेदारी हक से कूका जी के नाम पर दर्ज अभिलेख की गयी। स्व0 कूका बोला (रेगर) को गत बन्दोबस्त रकबा अनुसार हुये आवंटन का विवरण इस प्रकार हैं। ख0न0 115/2 रकबा 5 बीघा स्व0 कूका जी का ख0न0 115 मी0 रकबा 20 बीघा में 5 बीघा का आवंटन किया गया। ख0न0 117/3 रकबा 3 बीघा का आवंटन किया गया उस समय उक्त खसरा नम्बर 117 का क्षैत्रफल 4 बीघा 3 बिस्वां था। कूका पुत्र कालू जी रेगर को गत बन्दोबस्त खसरा संख्या 115 मी0 में 5 बीघा व खसरा नम्बर 117 में 3 बीघा भूमि के आवंटन के बाद ख0न0 115 मी0 में 15 बीघा व ख0न0 117 में 1 बीघा 3 बिस्वां भूमि शेष रही है। स्व0 कूका जी को दोनो खसरा नम्बरान में 8 बीघा भूमि का दिनांक 02.05.1961 को आवंटन हुआ। आवंटी कूका बोला को हुए आवंटन दिनांक 02.05.1961 के बाबत आवंटन शर्तो की पालना करते हुए उस पर काश्त की गई। कूका जी बोला की मृत्यु 15 वर्ष पूर्व हो गयी उसके पश्चात वादीगण आ0न0 542/116 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वां व ख0न0 543/140 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वां जो आवंटन के समय पड़त बजड भूमि थी वह बारानी तृतीय में परिवर्तित हो गयी। पटवारी हल्का ने ग्रामवासीयान भूति व गणेशपुरा वालो से कुसंयोजन कर अपने मौके पर्चे में कब्जा नहीं होने व भूमि के पड़त होने बाबत अनुचित टिप्पणी की।

वादीगण ने अनुतोष चाहा कि मौजा भूति प0ह0 सदाराम जी काखेड़ा स्थित आ0न0 542/116 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वां एवं ख0न0 543/140 रकबा 4 बीघा बुल किता 2 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमाया जावें। प्रतिवादीगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वादीगण को काश्त करने से नही रोकने एवं भूमि को बिलानाम होना मान उनके विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही नही करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। अन्य अनुतोष उचित वादपत्र हो प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलाया जावें।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

प्रस्तुत

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वाद पत्र भेज करवायी गयी।

पैरोकार सरकार तहसीलदार बिजौलियां ने पत्रांक/राजस्व/2015/518 दिनांक 18.06 2015 से जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामील पत्रावली किया गया। पैराकार सरकार ने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थी लक्ष्मण पिता कूका बोला निवासी भूति ने श्रीमान् का निर्णय दिनांक 27.09.2013 की क्रियान्वित का निवेदन किया हैं इस प्रकरण में निर्णय में आदेश है कि नामा संख्या 11 गतबन्दोबस्त आराजी नं0 115 के नवीन नं0 542/116 रकबा 7.05 बीघा व गत खसरा नं0 117 के नवीन नं0 543/140 रकबा 5.05 बीघा कुल किता 2 रकबा 12.10 बीघा चरागाह भूमि में इन्द्राज को खारिज किया जाता है। गतबन्दोबस्त से विपक्षी स्व. कूका पिता कालू बोला का गत खसरा नं. 115 व 117 में हुये 8.00 बीघा आवंटन को यथावत रखा जाता हैं

अधीनस्थ न्यायालय उक्त आवंटन के बारे में नवीन बन्दोबस्त के दौरान भू प्रबन्धक विभाग द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान तैयार किये गये खसरा/पत्रांक/मिलान खसरा को दृष्टिगत रखते हुये यदि नवीन रेकार्ड में आवंटन भूमि सिवायचक बिलानाम सरकार दर्ज है तो उस स्थिति में गत आवंटन भू भाग को नवीन अभिलेख में इन्द्राज करने की कार्यवाही कराने की सुनिश्चिता करें। यदि नवीन अभिलेख में प्रत्यर्थी गणों के स्व0 पिता कूका को हुये आवंटन को चरागाह में अभिलिखित कर दिया गया है। तो प्रत्यक्षगण न्यायालय में जाकर भूमि आवंटन के मुकाबले में अपने खाते में दर्ज कराने के लिए स्वतन्त्र रहेगें।

!

उक्त निर्णयानुसार कार्यालय का रेकार्ड निरीक्षण किया गया। उसके अनुसार प्रार्थी के पिता स्व. कूका को आवंटन खसरा 115 व 117 में 8.00 बीघा हुआ था। उन खसरा नं0 को भू प्रबन्ध के दौराने चरागाह में अभिलिखित कर दिया गया और जो नामान्तरकरण प्रार्थी के पिता के पक्ष में खोला गया उसमें चरागाह इन्द्राज है और चरागाह से गैरखातेदारी प्रदान की गई है। इसलिए श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के निर्णयानुसार नवीन अभिलेख में चरागाह दर्ज हैं तो प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में जाकर चाराजोही करनी चाहिए। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा के आदेश दिनांक 27.09.2013 की पालना में प्रार्थी के पिता के पक्ष में गैरखातेदारी इन्द्राज को खारीज कर नमान्तरकरण संख्या 629 दिनांक 19.06.2014 दर्ज कर पालना कर दी गई हैं।

प्रार्थना पत्र में प्रार्थी बार बार कथन दोहराता है कि उसकी सुनवाई नही की जाती है। तो निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष का नामान्तरकरण मानीय जिला कलक्टर महोदय के निर्णय से खारीज होकर चरागाह में दर्ज हो चुकी है। इसलिए चरागाह भूमि में प्रार्थी का कब्जा कैसे दिया जावें। और प्रार्थी को पूर्व में भी समसयश की गई की सक्षम न्यायालय में भू आवंटन के मुकाबले अपने रकवे को दर्ज करवाने हेतु चाराजोही करे। इस कार्यालय स्तर पर प्रार्थी का कोई कार्यवाही शेष नहीं हैं।

वादीगण ने वादपत्र के साथ शपथपत्र, नकल जमाबन्दी ग्राम भूति संवत् 2064 से 2067 पेश की जो प्रदर्श–1 हैं। नकल जमाबन्दी ग्राम भूति संवत् 2068 से 2071 पेश की जो प्रदर्श–2 हैं। न्यायालय जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा के निर्णय की प्रमाणित फोटाप्रति पेश की जो प्रदर्श–3 हैं। नकल जमाबन्दी ग्राम भूती संवत् 2032 से 2035 पेश की जो प्रदर्श–4 हैं शामिल पत्रावली हैं।

प्रतिवादीगण की ओर से अन्य किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नही हुयें।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी एवं मनन किया। पैराकार सरकार की रिपोर्ट का अध्ययन किया।

वादीगण अधिवक्ता ने वादपत्र में अंकित तथ्यो का विस्तार से जिक्र किया, वादीगण ने साक्ष्य स्वरूप दस्तावेजात, नकल जमाबन्दीया प्रस्तुत की हैं। वादपत्र में मौजा भूति प0ह0 सदाराम जी का खेड़ा स्थित आ0न0 542/116 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वां एवं ख0न0 543/140 रकबा 4 बीघा कुल किता 2 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करवाना चाहा गया।

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

पत्रावली में पैरोकार सरकार तहसीलदार बिजौलियां ने मौजा भूति स्थित आराजी नं0 115 के नवीन नं0 542/116 रकबा 7.05 बीघा व गत खसरा नं0 117 के नवीन नं0 543/140 रकबा 5.05 बीघा कुल किता 2 रकबा 12.10 बीघा चरागाह भूमि में इन्द्राज को खारिज किया जाना एवं गत बन्दोबस्त से विपक्षी स्व. कूका पिता कालू बोला का गत खसरा नं. 115 व 117 में हुये 8.00 बीघा आवंटन को यथावत रखा जाना चाहा हैं।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं तहसीलदार बिजौलियां की रिपोर्ट के आधार पर मौजा भूति स्थित आराजी नं0 115 के नवीन नं0 542/116 रकबा 7.05 बीघा व गत खसरा नं0 117 के नवीन नं0 543/140 रकबा 5.05 बीघा कुल किता 2 रकबा 12.10 बीघा चरागाह भूमि में वादीगण के इन्द्राज को खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं। प्रस्तुत वादपत्र वादीगण खारीज किये जाने योग्य है।

अतः वादपत्र वादीगण अन्तर्गत **धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब का जावें।

निर्णय आज दिनांक 03/04/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां